रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3— उप - खण्ड (i)
PART II---Section 3— Sub- Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 482] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 1997/अग्रहायण 18, 1919
No. 482] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 1997/AGRAHAYANA 18, 1919

indiacode

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर,1997

सा.का.नि. 689(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नियम, 1997 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं,—

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) अभिप्रेत है,

(ख) ''परिषद्'' से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है,

(ग) ''कार्यकारी समिति'' से धारा 19 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है,

(घ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) इसमें प्रयुक्त ऐसे सभी शब्दों और पदों के, जो परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए क्रमश: दिए गए हैं।

3. परिषद् के कतिपय विशेषज्ञ सदस्य,—

(1) विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति, धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के उपखंड (5) के अधीन, उपनियम, (2) और उपनियम (3) में यथाविनिर्दिष्ट प्रथम चक्र और द्वितीय चक्र से वैकल्पिक रूप से की जाएगी ।

(2) विशेषज्ञ सदस्यों का प्रथम चक्र निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित एक-एक क्षेत्र का होगा, अर्थात् :—

(क) प्राकृतिक विज्ञान,

(ख) सामाजिक विज्ञान,

(ग) शैक्षणिक प्रौद्योगिकी ।

(3) विशेषज्ञ सदस्यों का द्वितीय चक्र निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित एक-एक क्षेत्र होगा, अर्थात् :—

(क) भाषा विज्ञान,

(ख) व्यावसायिक शिक्षा और कार्य अनुभव,

(ग) विशेष शिक्षा ।

4. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य :—

धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ढ) के अधीन नियुक्त सदस्यों द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की रीति निम्नलिखित होगी:—

(क) प्रत्येक राज्य में अध्यापन समुदाय की संख्या को ध्यान में रखते हुए भारत के विभन्न भागों से पता लगाए गए आठ राज्य सरकारों में से प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि प्रत्येक ऐसे क्षेत्र से, जो क्षेत्रीय समितियों के अन्तर्गत आता है, कम से कम एक राज्य सम्मिलित किया जाएगा ।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का एक-एक प्रतिनिधि, अध्यापन समुदाय क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की आवश्यकता और अध्यापक शिक्षा से संबंधित ऐसे अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समुचित समझे जाएं ।

(ग) धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ढ) के अधीन नियुक्त सदस्यों की पदावधि उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष या नई नियुक्तियां होने तक, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, होंगी ।

5. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव की सेवा की शर्तें :—

(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित वेतन लेने के हकदार होंगे ।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव वेतन के अतिरिक्त महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकरात्मक भत्ता और उनके वेतन के समुचित ऐसे अन्य भत्तों के लिए हकदार होंगे, जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य ग्रेड में अधिकारियों को अनुज्ञेय है । अध्यक्ष को मकान किराए भत्ते के स्थान पर, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित सीमा के भीतर किराया मुक्त असज्जित वास सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव ऐसी सेवांत प्रसुविधाओं के हकदार होंगे, जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य ग्रेड के अधिकारियों की बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किसी विश्वविद्यालय या संस्था का कोई कर्मचारी, यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यसचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे ऐसे किसी भविष्य निधि में, जिसका वह व्यक्ति सदस्य था, अभिदाय जारी रखने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और परिषद् उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में उसी दर पर अभिदाय करेगी, जिस पर ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य-सचिव के रूप में उसकी नियुक्ति से ठीक पूर्व नियोजक का अभिदाय प्राप्त कर रहा था ।

(4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव, केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्समान वेतनमानों में इसके अपने अधिकारियों की बाबत समय-समय पर जारी किए गए नियमों, विनियमों, आदेशों और अनुदेशों के अनुसार छुट्टी, चिकित्सा संबंधी फायदे (स्वंय और परिवार के लिए), पद ग्रहण करने के लिए स्थानांतरण और परिषद् से संप्रत्यावर्तन पर मूल विभाग में कार्यग्रहण करने के संबंध में भत्ते के लिए हकदार होगा ।

(5) (क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव शासकीय प्रयोजनों के लिए परिषद् की स्टाफ कार का उपयोग करने के लिए हकदार होगा ।

(ख) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा निजी प्रयोजनों के लिए सरकारी स्टाफ कारों के उपयोग से संबंधित स्टाफ कार नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित शर्तों पर संदाय के आधार पर निजी प्रयोजनों के लिए परिषद् की स्टाफ कार का उपयोग करने के लिए भी हकदार होगा ।

6. परिषद्, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव की बाबत समय-समय पर प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा को शासित करने वाले भारत सरकार के साधारण आदेशों के अधीन, यथास्थिति छुट्टी वेतन, पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि और स्थानांतरण यात्रा भत्ते के संबंध में आवश्यक संदाय करेगी ।

(6) सदस्यों का यात्रा और दैनिक भत्ता :—(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव शासकीय दौरों और यात्राओं के लिए, उनके समतुल्य ग्रेड

के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को यथा लागू दर पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे ।

(2) परिषद् के अशासकीय सदस्य, जिसके अन्तर्गत धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ठ), खंड (ड) और खंड (त) के अधीन नियुक्त सदस्य भी हैं, शासकीय दौरों और यात्राओं के लिए, समितियों और आयोगों के अशासकीय सदस्यों और ऐसे ही प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के लिए हकदार होंगे ।

(3) धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ध), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट) और (ठ) के अधीन नियुक्त किए गए सदस्य उनके अपने-अपने संगठनों में उनको लागू दर पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्तों की प्रतिपूर्ति पाने के यदि ऐसी वांछा की जाए, हकदार होंगे ।

(4) धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ड) के अधीन नियुक्त किए गए सदस्य शासकीय दौरों और यात्राओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिवेशन में भाग लेने के लिए यथा-अनुज्ञेय, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे ।

(5) धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ण) के अधीन सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किए गए संसद् के सदस्य, ऐसे अधिवेशनों में भाग लेने के लिए अपने-अपने सदन के सदस्यों को लागू आदेशों के अनुसार यात्रा भत्तों और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे ।

7. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य :—(1) अध्यक्ष, परिषद् का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होगा और परिषद् और वह इसकी क्षेत्रीय समितियों के कार्यों के उचित प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) अध्यक्ष, परिषद् और इसकी क्षेत्रीय समितियों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य अवधारित करेगा तथा उन पर ऐसे पर्यवेक्षण और नियंत्रण का भी प्रयोग करेगा, जो परिषद् के कृत्यों को करने के लिए आवश्यक हों ।

(3) अध्यक्ष का यह सुनिश्चित कर्तव्य होगा कि परिषद् और परिषद् के अधीन गठित निकाय, अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करें ।

(4) अध्यक्ष, सिवाय ऐसे मामलों के, जिनमें भारत सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है, ऐसे आदेश और निदेश जारी करेगा जो मामले में विलंब नहीं किए जा सकने की दशा में, परिषद् या इसके गठित किए गए निकायों के अनुमोदन की प्रत्याशा में आवश्यक समझे जाएं और ऐसे आदेशों और निदेशों को परिषद् के आगामी अधिवेशन में उसके समक्ष रखेगा ।

(5) अध्यक्ष को अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अनुसंधान, अध्ययन, विकास के क्रियाकलापों, प्रकाशन और संबद्ध विषयों के लिए स्कीमें, ऐसी शर्तों और दिशानिर्देशों के, जो परिषद् द्वारा इस निमित्त अधिकथित किए जाएं और ऐसी निधियों की उपलब्धता के, जो ऐसे प्रयोजनों के लिए निश्चित की जाएं, के अधीन रहते हुए अनुमोदित करने की शक्ति होगी ।

(6) अध्यक्ष को, परिषद् के कार्य के लिए एक समय में छह मास से अनधिक की अवधि के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को संविदाजात आधार पर परामर्शी या सलाहकार के रूप में, उन्हीं निबंधनों और शर्तों तथा पारिश्रमिक पर, जो भारत सरकार द्वारा परामर्शी की नियुक्ति की दशा में भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, नियुक्त करने की शक्ति होगी ।

8. निरीक्षण :—(1) समिति, अपनी ओर से मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए एक या अधिक समिति नियत कर सकेगी, जिसका नाम निरीक्षण समिति होगा ।

(2) प्रत्येक निरीक्षण समिति में परिषद् का कम से कम एक सदस्य और दो ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे, जो या तो अध्यापक शिक्षा या शैक्षणिक प्रशासन में विशेषज्ञ होंगे ।

(3) प्रत्येक निरीक्षण समिति ऐसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण करेगी, जो परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट की जाएं ।

(4) निरीक्षण समिति, मान्यता प्राप्त संस्था का निरीक्षण करने के अपने आशय की कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना देने के पश्चात् उस संस्था द्वारा किए जा रहे अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान के मानदंडों और स्तर के अनुरक्षण की जांच करने के लिए उस संस्था में जाएंगे ।

(5) निरीक्षण समिति द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था का निरीक्षण करने से पूर्व, वह समिति संस्था के प्रधान को एक प्रश्नावली भेजेगी, जिसमें निरीक्षण किए जाने वाली संस्था से संबंधित सभी सुसंगत विषयों की जानकारी मांगी जाएगी ।

(6) प्रश्नावली के उत्तर की प्राप्ति के पश्चात् निरीक्षण समिति उसके द्वारा निरीक्षण करने की तारीख नियत करेगी और उसे संबंधित संस्था को संसूचित करेगी ।

(7) ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था, जिसका निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण किया जाना है, निरीक्षण में निम्नलिखित रीति में सहयुक्त होगी, अर्थात् :—

(क) मान्यता प्राप्त संस्था तीन से अनधिक प्रतिलिपि नामनिर्दिष्ट करेगी और उनके नाम संबंधित निरीक्षण समिति को संसूचित किए जाएंगे।

(ख) मान्यता प्राप्त संस्था का प्रतिनिधित्व निरीक्षण से ऐसे समय और ऐसी रीति के लिए सहयुक्त होगा, जो निरीक्षण समिति द्वारा अवधारित की जाए ।

(ग) निरीक्षण करने में, निरीक्षण समिति का निरीक्षण किए जाने वाली संस्था की संकायों के ऐसे अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य सदस्य से विचार-विमर्श हो सकता है, जिन्हें समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए ।

(8) निरीक्षण के यथासंभव शीघ्र पश्चात्, निरीक्षण समिति अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट परिषद् को देगी ।

9. फीस :—(1) नियत दिन को या उसके पश्चात् अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करने वाली या प्रस्थापित करने का आशय रखने वाली किसी संस्था द्वारा अधिनियम के अधीन मान्यता की मंजूरी प्राप्त करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय समिति को धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन किए गए हरप्रत्येक आवेदन के साथ उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर जमा की जाने वाली फीस दी जाएगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन संदेय फीस निम्नलिखित होगी :—

(क) सहबद्ध निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यमान संस्थाओं के लिए 1,000/-रुपए ।

(ख) नई संस्था स्थापित करने के लिए 5,000/- रुपए ।

(3) मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरंभ किए जाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय समिति को धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ पांच हजार रुपए फीस दी जाएगी।

10. अपील :—

धारा 14, धारा 15 या धारा 17 के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेशों के जारी करने के साठ दिन के भीतर परिषद् के पक्ष में लिखे गए क्रास डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अपील के ज्ञापन के साथ संदेय 1,000/- रु. की फीस के साथ, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप I में परिषद् को अपील कर सकेगा।

परन्तु साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील उस दशा में ग्रहण की जा सकेगी, यदि अपीलार्थी परिषद का यह समाधान कर देता है कि उसके पास साठ दिन की परिसीमा की अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त हेतूक था।

11. अपीलों के निपटान के लिए प्रक्रिया :—(1) समिति, अपील के ज्ञापन की प्राप्ति पर संबंधित क्षेत्रीय समिति से, जिसने ऐसा आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, मामले के अभिलेखों की मांग करेगा और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के लिए पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

(2) अपीलार्थी, अपीलार्थी संस्था के किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए हकदार होगा।

(3) परिषद प्रत्येक अपील का यथासंभव शीघ्र विनिश्चय करेगा और सामान्यतया प्रत्येक अपील का विनिश्चय दस्तावेजों, अपील के ज्ञापन, लिखित तर्कों, यदि कोई हो, शपथ पत्रों का अध्ययन करने और ऐसे मौखिक तर्कों की जो प्रस्तुत किए जाएं, सुनवाई के पश्चात् करेगा।

(4) परिषद प्रत्येक अपील के ज्ञापन को, इसके फाइल किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर निपटाने का प्रयास करेगी।

(5) परिषद किसी अपील में साधारणतया तीन से अधिक स्थगन अनुज्ञात नहीं करेगी।

12. कार्यकारी समिति की सदस्यता :—(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा, धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन चार राज्यों के प्रतिनिधियों को निम्नलिखित रीति में, परिषद की कार्यकारी समिति के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा :—

(क) ऐसे प्रत्येक क्षेत्र से जो, चार क्षेत्रीय समितियों के अन्तर्गत आता है, राज्य का एक प्रतिनिधि।

(ख) ऐसे राज्यों को, जिनका धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ढ) के निबंधानुसार पहले से ही परिषद में प्रतिनिधित्व है, धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन नामनिर्देशन पर विचार करते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(2) धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन नियुक्त किए गए कार्यकारी समिति के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और एक बार प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य उपनियम (1) के खंड (ख) के पालन के अधीन रहते हुए दो वर्ष के अंतराल के पश्चात ही आगे और प्रतिनिधित्व के लिए पात्र होगा।

13. बजट:—(1) परिषद इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप 2 में आगामी वित्तीय वर्ष की बाबत बजट तैयार करेगी और उसे प्रत्येक कलैण्डर वर्ष की 30 सितंबर से पहले इसके द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत करेगी।

(2) बजट की एक प्रति, यदि कार्यकारी समिति का अनुमोदन समय पर प्राप्त करना संभव नहीं पाया जाता है तो समिति को कार्यकारी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में अध्यक्ष के अनुमोदन से केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

14. वार्षिक रिपोर्ट:—(1) परिषद प्रत्येक वर्ष में एक बार इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप 3 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी।

(2) परिषद, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों की बाबत् अपनी वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ मास के भीतर केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

[एफ० सं० 61-24/94—डैस्क (टी०ई०)]

अभिमन्यु सिंह, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

अपील का ज्ञापन

(कृपया नियम 11 देखें)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के समक्ष अपील

19 की अपील सं०

क ख ग

(यहां पूरा डाक का पता दें) अपीलार्थी

बनाम

घ ङ च प्रत्यर्थी

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,

नई दिल्ली।

महोदय,

ऊपर नामित अपीलार्थी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अधीन, निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर, अपील का ज्ञापन प्रस्तुत करने की प्रार्थना करता है:—

तथ्य

1. आपके, ऊपर नामित अपीलार्थी ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा के अधीन, क्षेत्रीय समिति को के लिए आवेदन किया था।

2. क्षेत्रीय समिति ने अपने आदेश, तारीख द्वारा जिसकी प्रति संलग्न है, ऐसे को मंजूरी देने से इन्कार कर दिया।

आपका (आपके) अपीलार्थी नीचे दिए गए कारणों से यह निवेदन करता है (करते है) कि क्षेत्रीय समिति द्वारा मंजूर किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय समिति द्वारा मामले का विनिश्चय करने में निम्नलिखित आधारों पर गलती हुई।

अपील के आधार

1.

2.

3.

प्रार्थना

अत: अपीलार्थी प्रार्थना करता है कि उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपास्त किया जाए और अपीलार्थी को समुचित राहत प्रदान की जाए।

तारीख:

मैं/हम ऊपर नामित अपीलार्थी यह घोषणा करता हूं (करते है) कि इसमें जो भी कथन किया गया है, वह मेरी (हमारी) सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से सही है और कोई भी तात्विक बात दबाई या छिपाई नहीं गई है।

स्थान :

तारीख :

अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर

IndiaCode

अपीलार्थी (अपीलार्थियों) का पता :—

टिप्पणी—1. अनुपयुक्त शब्दों या अक्षरों को काट दें ।

2. अपील के ज्ञापन के साथ, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के पक्ष में नई दिल्ली में संदेय क्रास डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 1,000/-रु. की फीस भी दी जानी चाहिए । फीस अप्रतिदेय और अनंतरणीय है । विहित फीस के बिना प्राप्त हुए अपील के ज्ञापन को ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

3. अपील के ज्ञापन के साथ सदैव उस आदेश की प्रति संलग्न की जाए, जिसके विरुद्ध अपील की गई है ।

4. अपील दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाएं, दोनों प्रतियां सभी संलग्नकों सहित पूर्ण होनी चाहिए ।

5. अपील के साथ संलग्न किए गए सभी दस्तावेज अपीलार्थी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किए जाने चाहिए ।

6. अपील का ज्ञापन—

(i) सादे कागज पर दोहरा स्थान छोड़कर स्वच्छ रूप से टंकित होना चाहिए ।

(ii) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पदनाम से ही भेजा जाना चाहिए ।

(iii) इसमें दस्तावेजों की सूची के लिए एक तालिका होनी चाहिए, जिसमें क्रमानुसार दी गई पृष्ठ संख्या बतायी जानी चाहिए।

(iv) सभी प्रकार से पूर्ण हो और इसमें ऐसे सभी तात्विक कथन और तर्क होने चाहिए, जिन पर विश्वास रखा गया है । अपील में अन्तर्विष्ट कथनों के समर्थन में सम्यक रूप से दस्तावेजी साक्ष्य जहाँ कहीं आवश्यक हो, लगाए जाने चाहिए ।

(v) इसमें कोई असंबद्ध या असंगत बात अन्तर्विष्ट नहीं होनी चाहिए ।

(vi) उपयुक्त पैराओं में विभाजित किया जाना चाहिए, प्रत्येक पैरा में विनिर्दिष्ट बात या विवाधक होनी चाहिए ।

(vii) इसमें कोई अनादरपूर्ण और अनुचित भाषा प्रयोग नहीं की जानी चाहिए ।

(viii) इसमें प्रत्येक पृष्ठ के नीचे बायीं ओर प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उस संस्था की जिसकी ओर से अपील की जा रही है, शासकीय मुद्रा सहित उसकी शासकीय हैसियत बताते हुए हस्ताक्षर किए जाने चाहिए शुद्धियां, यदि कोई हो, सम्यकतः आधक्षरित की जानी चाहिएं ।

7. यदि अपील के प्रारूप या विषय वस्तु में कोई कमी या कोई अन्य दोष हो तो अपीलार्थी को, परिषद द्वारा इस संबंध में संसूचना जारी किए जाने के 15 दिन के भीतर उन्हें ठीक करने का अवसर दिया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए समय का विस्तारण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

प्ररूप 2

(कृप्या नियम 13 देखिए)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

16, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

बजट और लेखा शीर्ष

लेखा शीर्ष (व्यय)

I आवर्ती

कार्मिक सेवाएं

1. अधिकारियों और स्थापन के वेतन
2. अध्यापन फीस/बाल शिक्षा भत्ता
3. मानदेय
4. अतिकालिक भत्ता
5. छुट्टी यात्रा रियायत
6. चिकित्सीय प्रतिपूर्ति
7. छुट्टी वेतन और पेंशन अभिदाय
8. अभिदायी भविष्य निधि और उस पर ब्याज
9. सेवानिवृत्ति फायदें/उपदान
10. बोनस
11. परामर्शी की फीस

12. अन्य भत्ते

2 मजदूरी

3 **वास सुविधा के लिए किराया**

1. निवास स्थान
2. सरकारी भवन

4 (क) **यात्रा व्यय**

1. घरेलू यात्रा व्यय
2. स्थानीय प्रवहण

4 (ख) **विदेश यात्रा व्यय**

4 (ग) **क्षेत्रीय समितियों द्वारा मान्यता के लिए संस्थाओं के आवेदनों पर कार्यवाही करना**

4 (घ) **गैर शासकीय** के संबंध में यात्रा भत्ता (महंगाई भत्ता) मानदेय

5 (क) **कार्यालय व्यय**

1. लेखा परीक्षा फीस
2. विज्ञापन प्रभार
3. बिजली/जल प्रभार
4. स्टाफ कार/टैक्सी

(क) पेट्रोल/तेल/स्नेहक

(ख) मरम्मत और रख-रखाव

(ग) टैक्सियों के लिए भाडा संबंधी प्रभार

5. आतिथ्य और सत्कार
6. विधिक प्रभार
7. वर्दियां
8. डाक महसूल और तार
9. मुद्रण और लेखन सामग्री
10. पुस्तकें ओर नियतकालिक पत्रिकाएं
11. टेलीफोन प्रभार
12. बैंक प्रभार
13. प्रकीर्ण कार्यालय व्यय

5 (ख) परिषद और उसकी समितियों के अधिवेशन

6 परियोजनाएं/कार्यक्रम

अनावर्ती

1. फर्नीचर और फिक्सचर
2. मशीनरी और उपस्कर
3. पुस्तकालय नेटवर्किंग और प्रलेखीकरण, आदि
4. भवन (नए प्रस्ताव)

लेखाशीर्ष (प्राप्तियां)

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान
2. आवेदन पत्रों के विक्रय आगम
3. संस्थाओं की मान्यता के लिए फीस
4. अन्य प्राप्तियां

IndiaCode

प्ररूप 3

(कृपया नियम 14 देखें)

वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

अध्याय 1	प्रस्तावना
अध्याय 2	पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान क्रियाकलापों का निरीक्षण
अध्याय 3	राष्ट्रीय मुख्यालय
अध्याय 4	क्षेत्रीय समितियां
अध्याय 5	अन्तर्राष्ट्रीय पारस्परिक कार्रवाई
अध्याय 6	परियोजनाएं और कार्यक्रम
अध्याय 7	प्रकाशन
अध्याय 8	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा कार्यवाही किए जाने वाला कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 1997

G.S.R. 689(E).—In exercise of powers conferred by section 31 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Council for Teacher Education Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993);

(b) "Council" means the National Council for Teacher Education established under sub-section (1) of section 3;

(c) "Executive Committee" means the Committee constituted by the Council under section 19;

(d) "section" means a section of the Act.

(2) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Certain Expert Members of the Council**—(1) The expert members shall be appointed under sub-clause (v) of clause (m) of sub-section (4) of section 3 alternatively from the first cycle and the second cycle as specified in sub-rules (2) and (3).

(2) The first cycle of expert members shall be one each belonging to the following fields, namely :—

(a) natural sciences;

(b) social sciences;

(c) educational technology.

(3) The second cycle of expert members shall be one each belonging to the following fields, namely :—

(a) linguistics ;

(b) vocational education and work experience ;

(c) special education.

4. **Members representing States and Union Territories** :— The manner of representation of the States and Union

Territories by the members appointed under clause (n) of sub-section (4) of section 3, shall be as under :—

(a) one representative each of eight State Governments from the different parts of India identified by keeping in view the strength of teaching community in each State, subject to the condition that at least one State from each of the regions which is covered by the Regional Committees shall be included.

(b) one representative of the Union Territory Administrations keeping in view the strength of the teaching community, the need for regional representation and such other factors relating to teacher education as may be deemed appropriate by the Central Government.

(c) The term of office of members appointed under clause (n) of sub-section (4) of section 3 shall be two years from the date of their appointment or till fresh appointments are made, whichever is later.

5. Conditions of service of the Chairperson, the Vice-Chairperson and the Member-Secretary.—

(1) The Chairperson, the Vice-Chairperson and the Member-Secretary shall be entitled to draw pay as approved by the Central Government from time to time.

(2) The Chairperson, the Vice-Chairperson and the Member-Secretary shall be entitled to, in addition to pay, Dearness Allowance, House Rent Allowance, City Compensatory Allowance, and such other allowances appropriate to their pay as admissible to the Central Government officers of equivalent grade. The Chairperson may be provided, in lieu of House Rent Allowance, Rent free unfurnished accommodation within the ceiling prescribed by the Government of India, from time to time.

(3) The Chairperson, the Vice-Chairperson and the Member-Secretary shall be entitled to such terminal benefits as may be specified by the Central Government in respect of officers of the Central Government of equivalent grade:

Provided that an employee of any university or institution maintained by Central Government, if appointed as the Chairperson, the Vice-Chairperson or the Member-Secretary shall be allowed to continue to contribute to any Provident Fund of which that person was a member and the Council shall contribute to the accounts of such person in that Provident fund at the same rate at which such person had been receiving employer's contribution immediately before his or her appointment as the Chairperson, the Vice-Chairperson or the Member-Secretary, as the case may be.

(4) The Chairperson, the Vice-Chairperson and Member-Secretary shall be entitled to leave, medical benefits (for self and family), allowance on transfer for joining the post as well as on joining the Parent Department on repatriation from the Council, as per rules, regulations, orders and instructions issued by the Central Government from time to time in respect of its own officials in the corresponding scales of pay.

(5) (a) The Chairperson, the Vice-Chairperson and the Member-Secretary shall be entitled to use the Council's staff car for official purposes.

(b) The Chairperson, the Vice-Chairperson and the Member-Secretary shall also be entitled to use staff car of the Council, for private purposes on payment basis on the conditions laid down by the Central Government under the Staff Car Rules for use of Government staff cars for private purposes by officers of the Central Government.

(6) The Council shall make necessary payment towards leave salary, pension or contributory Provident fund, as the case may be, as well as the transfer travelling allowance as provided under the general orders of the Government of India governing deputation/foreign service from time to time in respect of the Chairperson, the Vice-Chairperson and the Member-Secretary.

6. Travelling and Daily Allowances to Members.—(1) The Chairperson, the Vice-Chairperson and the Member-Secretary shall be entitled to travelling allowance and daily allowance for official tours and journeys at the rates as applicable to the Central Government Officers of their equivalent grades.

(2) The non-official members of the Council including the members appointed under clauses (l), (m) and (p) of sub-section (4) of section 3, shall be entitled to travelling allowance and daily allowance for official tours and journeys in accordance with the orders issued by the Central Government in relation to the non-official members of the Committees and Commissions and such like categories of persons.

(3) Members appointed under clauses (d), (f), (g), (h), (i), (j), (k) and (n) of sub-section (4) of section 3 shall be entitled to receive reimbursement of travelling allowance and daily allowance; if so desired, at the rate applicable to them in their respective organisation.

(4) Members appointed under clause (e) of sub-section (4) of section 3 shall be entitled to travelling allowance and

daily allowance for official tours and journeys as admissible for attending the meeting of the University Grants Commission.

(5) Members of Parliament nominated as Members under clause (o) of sub-section (4) of section 3 shall be entitled to travelling allowance and daily allowance as per orders applicable to the Members of the respective House for attending such meetings.

7. Powers and duties of the Chairperson.—(1) The Chairperson shall be the Principal Executive Officer of the Council and shall be responsible for the proper administration of the affairs of the Council and its Regional Committees.

(2) The Chairperson shall determine the duties of all officers and staff of the Council and its Regional Committees and shall also exercise such supervision and control over them as may be necessary to carry out the functions of the Council.

(3) It shall be the duty of the Chairperson to ensure that the Council and the bodies constituted under the Council carry out the objectives of the Act.

(4) The Chairperson shall, except in cases in which approval of Government of India is required, issue such orders and directions as may be considered necessary in anticipation of approval of the Council or of the constituted bodies of it, if the matter cannot be delayed and shall place the orders and directions before the Council at its next meeting.

(5) The Chairperson shall have the power to approve schemes for research, studies, development activities, publications and allied matters for the furtherance of objects of the Act, subject to such conditions and guidelines as may be laid down by the Council in this behalf and availability of funds as may be earmarked for such purposes.

(6) The Chairperson shall have the power to engage eminent persons for a period not exceeding six months at a time for the work of the Council as Consultants or Advisers on contractual basis, on the same terms and conditions and remuneration as specified by the Government of India in case of appointment of Consultants by it.

8. Inspection.—(1) The Council may appoint one or more Committees to be called the Inspection Committees to inspect recognised institutions on its behalf.

(2) Every Inspection Committee shall consist of at least one member of the Council and two other persons who shall be experts either in teacher education or educational administration.

(3) Every Inspection Committee shall inspect such recognised institutions as may be assigned to it by the Council.

(4) The Inspection Committee may, after giving at least fifteen days notice of its intention to inspect the recognised institution, visit such institution for examining the maintenance of norms and standards of teaching, examination and research undertaken by such institution.

(5) Before an Inspection Committee inspects a recognised institution, the Committee shall send to the Head of the institution, a questionnaire seeking information on all relevant matters relating to the institution to be inspected.

(6) After receipt of the reply to the questionnaire, the Inspection Committee shall fix the date of inspection by it and communicate the same to the institution concerned.

(7) The recognised institution which may be inspected by the Inspection Committee shall be associated with the inspection in the following manner, namely:—

(a) The recognised institution shall nominate not more than three representatives and their names shall be communicated to the concerned Inspection Committee.

(b) The representation of the recognised institution shall be associated with the inspection for such time and in such a manner as may be determined by the Inspection Committee.

(c) In carrying out the inspection, the Inspection Committee may have discussions with such officers, teachers and other members of the faculties of the institution to be inspected as may be considered necessary by the Committee.

(8) As soon as possible after the inspection, the Inspection Committee shall report its finding to the Council.

9. Fees.—(1) Every application made under sub-section (1) of section 14 to the concerned Regional Committee for obtaining grant of recognition under the Act by any institution offering or intending to offer a course or training in teacher education on or after the appointed day, shall be accompanied by a fee to be deposited at the rates specified in sub-rule (2).

(2) The fee payable under sub-rule (1) shall be as under :—

(a) Rs. 1,000 for existing institutions recognised by affiliating bodies.

(b) Rs. 5,000 for setting up new institution.

(3) Every application made under sub-section (1) of section 15 to the concerned Regional Committee for starting any

new course or training in teacher education by the recognised institution shall be accompanied by a fee of rupees five thousand.

10. Appeals.—Any person aggrieved by an order made under section 14, section 15 or section 17 may prefer an appeal in Form I appended to these rules, to the Council within sixty days of issue of such orders, along with a fee of Rs. 1000 payable with the memorandum of appeal in the form of crossed demand draft drawn in favour of the Council:

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the said period of sixty days, if the appellant satisfies the Council that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the period of limitation of sixty days.

11. Procedure for disposal of appeals.—(1) On receipt of memorandum of appeal, the Council shall call for the records of the case from the Regional Committee concerned which passed the order appealed against and after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard pass such orders as it may deem fit.

(2) The appellant shall be entitled to be represented by an employee or officer of the appellant institution.

(3) The Council shall decide every appeal as expeditiously as possible and ordinarily every appeal shall be decided on a perusal of documents, memorandum of appeal, written arguments, if any, affidavits and after hearing such oral arguments as may be advanced.

(4) The Council shall endeavour to dispose of every memorandum of appeal within a period of three months from the date of its filing.

(5) The Council shall not ordinarily allow more than three adjournments in any appeal.

12. Membership of the Executive Committee Member representing States :—(1) Four State representatives as members of the Executive Committee of the Council under clause (i) of sub-section (2) of section 19 shall be nominated by the Central Government in the following manner :—

(a) One representative of a State from each of the Region which is covered by the four Regional Committees.

(b) States which are already represented on the Council in terms of clause (n) of sub-section (4) of section 3 shall not be included while considering nominations under clause (i) of sub-section (2) of section 19.

(2) The members of the Executive Committee appointed under clause (i) of sub-section (2) of section 19 shall hold office for a period of two years and a State once represented shall be eligible for further representation only after a gap of two years subject to adherence of clause (b) of sub-rule (1).

13. Budget.—(1) The Council shall prepare the budget in respect of the financial year next ensuing, in Form II appended to these rules and submit the same for its consideration not later than 30th September of every calendar year.

(2) A copy of the budget shall be forwarded to the Central Government with the approval of the Chairperson in anticipation of approval of Executive Committee of the Council if it is found not possible to obtain approval of Executive Committee in time.

14. Annual Report.— (1) The Council shall prepare once in every year its annual report in Form III appended to these rules.

(2) The Council shall submit its annual report in respect of its activities in a previous financial year to the Central Government within nine months of the end of the financial year.

[F.No. 61-24/94-Desk (TE)]

ABHIMANYU SINGH, Jt. Secy.

3119 GI/97—3

FORM I

MEMORANDUM OF APPEAL

[*See* rule 11]

APPEAL BEFORE THE NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION UNDER SECTION 18 OF NCTE ACT, 1993

Appeal No.————of 19———

ABC Appellant

(here furnish complete postal address)

versus

DEF Respondent

To

The Member Secretary,
National Council for Teacher Education,
New Delhi.

Sir,

The appellant named above begs to prefer this Memorandum of appeal under section 18 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 on the following facts and grounds:—

FACTS

1. Your above-mentioned appellant had applied to the Regional Committee under section ———— of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) for ————.

2. The Regional Committee ————refused to grant such ———— *vide* its order dated —— ———— a copy of which is attached.

For the reasons set out below, your appellant(s) submit(s) that the ———— ought to have been granted by the Regional Committee.

The Regional Committee erred in deciding the matter on the following grounds.

GROUNDS OF APPEAL

1.

2.

3.

PRAYER

The appellant therefore prays that the order appealed against may be set aside and appropriate relief granted to the appellant.

Date:

I/We———— the appellant(s) above named do hereby declare that what is stated herein is true to the best of my/our information and belief and nothing material has been suppressed or concealed.

Place:

Date: Signature of the appellant or his authorised signatory

IndiaCode

Address of the appellant(s)

Notes.— 1. Delete inappropriate words or letters.

2. The memorandum of appeal should be accompanied by a fee of Rs. 1,000 paid by way of crossed demand draft in favour of the National Council for Teacher Education, New Delhi payable at New Delhi. The fee is non-refundable and non-transferable. Memorandum of appeal received without the prescribed fee shall not be entertained.

3. A copy of the order appealed against should invariably be enclosed to the memorandum of appeal.

4. The appeal should be submitted in duplicate, both copies complete with all enclosures. Copies of the documents relied upon should be appended to the memorandum of appeal.

5. All documents enclosed to the appeal should be duly authenticated by the appellant.

6. The Memorandum of Appeal—

(i) should be on plain paper neatly typed in double space.

(ii) should be addressed to the Member-Secretary, National Council for Teacher Education by designation only.

(iii) should contain an index for list of documents indicating page numbers consecutively given.

(iv) should be complete in all respects and contain all material statements and arguments on which reliance are placed. The statements contained in the appeal should be duly supported by documentary evidence, wherever necessary.

(v) should not contain any extraneous or irrelevant points.

(vi) should be divided into suitable paragraphs, each paragraph containing a specific point or issue.

(vii) should not contain any disrespectful or improper language.

(viii) should be signed on the left hand side bottom of every page by an authorised person giving his/her official position with the office seal of the institution on whose behalf the appeal is being preferred. Corrections, if any, should be duly initialled.

7. If there are any deficiencies in the form or content of the appeal or any other shortcomings, the apellant shall be given an opportunity to cure them within 15 days of the issue of a communication in this regard from the Council. No extension of time will be allowed for this purpose.

FORM II

(See rule 13)

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

16, I. P. Estate, New Delhi - 110002

BUDGET AND ACCOUNT HEADS

Head of Accounts (Expenditure)

I. Recurring

Personnel Services

1. Salaries of officers and Establishment
2. Tuition fee/Children Education Allowance
3. Honorarium
4. Over time Allowance
5. Leave Travel Concession
6. Medical Reimbursement
7. Leave Salary and Pension Contribution
8. Contributory Provident Fund and Interest thereon
9. Retirement benefits/Gratuity
10. Bonus
11. Consultants Fee
12. Other Allowances

II Wages

III Rent for Accommodation
- (1) Residential Building
- (2) Official Building

IV (A) Travel Expenses
- (1) Domestic Travel Expenses
- (2) Local Conveyance

IV (B) Foreign Travel Expenses

IV (C) Processing of applications of Institutions for recognition by Regional Committees

IV (D) Travel Allowance/Dearness Allowance/Honorarium to non-official

V (A) Office Expenses
1. Audit Fees
2. Advertisement charges
3. Electricity/Water charges
4. Staff Car/Taxi
 - (a) Petrol/Oil/Lubricant
 - (b) Repair and Maintenance
 - (c) Hiring charges for Taxies
5. Hospitality and Entertainment
6. Legal Charges
7. Liveries
8. Postage and Telegrams
9. Printing and Stationery
10. Books and Periodicals
11. Telephone Charges
12. Bank Charges
13. Miscellaneous office expenses

V (B) Meetings of the Council and its Committees

VI Projects/Programmes

Non-Recurring

1. Furniture and Fixtures

2. Machinery and Equipment

3. Library Networking and Documentation, etc.

4. Building (New Proposal)

Head of Accounts (Receipts)

1. Grants received from the Ministry of Human Resource Development
2. Sales Proceeds of Application Forms
3. Fees for recognition of Institutions
4. Other receipts

FORM III

(See rule 14)

FORM OF THE ANNUAL REPORT

Chapter I	Introduction
Chapter II	An overview of the activities during the previous year
Chapter III	National Headquarters
Chapter IV	Regional Committees
Chapter V	International Interaction
Chapter VI	Projects and Programmes
Chapter VII	Publications
Chapter VIII	Any other important matter dealt with by the National Council for Teacher Education.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997

IndiaCode